<u>न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल</u> (पीठासीन अधिकारी — श्रीमती मीना शाह)

<u>व्य.वाद. क्रमांक:- 74ए / 16</u> <u>संस्थापन दिनांक:-27 / 09 / 16</u> <u>फाईलिंग नं. 400349 / 2016</u>

- 1. राजेश पिता गंगाराम फाटे, उम्र 34 वर्ष,
- 2. कमलेश पिता गंगाराम फाटे, उम्र 28 वर्ष,
- गंगाराम पिता कारू फाटे, उम्र 62 वर्ष सभी निवासी ग्राम सोनेगांव, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

..... वादीगण

वि रू द्व

- गणेश पिता माधोराव, उम्र 55 वर्ष निवासी वार्ड नं. 06 आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- मारूति पिता कारू फाटे, उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम सोनेगांव, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- लक्ष्मण पिता कारू फाटे, उम्र 55 वर्ष निवासी वार्ड नं. 03 नगर पालिका के पास सारणी, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 4. मानकी पिता कारू, उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम ब्राम्हणवाड़ा, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 5. दौलत पिता रामू, उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम सोनेगांव, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 6. वासुदेव पिता रामू, उम्र 52 वर्ष निवासी बस स्टेंड मजार के पास आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 7. सुखदेव पिता राम्, उम्र 50 वर्ष
- प्रहलाद पिता राम्, उम्र ४८ वर्ष
- 9. मीरा पिता रामू, उम्र 58 वर्ष क. 7 से 9 निवासी ग्राम सोनेगांव, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

- 10. दुर्गा पिता रामू, उम्र 56 वर्ष निवासी छात्रावास के पास बस स्टेंड आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 11. परभा पिता रामू, उम्र 53 वर्ष, निवासी ग्राम नाहिया, तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)
- तहसीलदार आमला, तहसील कार्यालय आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 13. नायब तहसीलदार वृत्त बोरदेही, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 14. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल (म.प्र.)

.....प्रतिवादीगण

<u> -: (निर्णय) :-</u>

(आज दिनांक 26.02.2018 को घोषित)

- 1 वादीगण द्वारा यह दावा ख.नं. 103 रकबा 0.890 हे., ख.नं. 6 रकबा 0.202 हे., ख.नं. 17 रकबा 0.304 हे. स्थित ग्राम सोनेगांव के विक्रय पत्र दिनांक 28.08.1995 के माध्यम से क्रय किये जाने के आधार पर तथा ख.नं. 6 एवं 21 स्थित ग्राम सोनेगांव में वादी क्र. 03 का 1/4 अंश होने के आधार पर (अत्र पश्चात उपर्युक्त भूमियां विवादित भूमियां से संबोधित) के स्वत्व की घोषणा एवं उपर्युक्त भूमियों पर प्रतिवादीगण द्वारा हस्तक्षेप किये जाने से निषेधित किया जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है।
- 2 प्रकरण में यह स्वीकृत है कि वादीगण तथा प्रतिवादी क. 02 से 04 एक ही परिवार के हैं। प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य वंशवृक्ष स्वीकृत है। प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य वर्ष 1996 से वर्ष 2010 तक विक्रय पत्र दिनांक 28.08.1995 के आधार पर राजस्व न्यायालय में नामांतरण संबंधी कार्यवाही होना स्वीकृत है।
- 3 वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी क. 01 एवं 02 द्वारा दिनांक 28.08.1995 को रिजस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विवादित भूमि ख.नं. 103 रकबा 1.562 हे. में से 0.890 हे. भूमि तथा विक्रय पत्र दिनांक 28.08.1995 के माध्यम से विवादित भूमि ख.नं. 6 रकबा 0.401 हे. में से 0.202 हे. एवं ख.नं. 17 का पूर्ण रकबा 0.304 हे. विक्रेता कारू से वादी क. 01 एवं 02 की नाबालिक अवस्था में बली पिता गंगाराम के द्वारा क्रय किया गया

था। विकय पत्र में लेख कय शुदा भूमि की चतुर्सीमा पर वादीगण कय दिनांक से आधिपत्य में है। कय की गयी भूमि ख.नं. 6 की चौहद्दी उत्तर में पंजाब की जमीन, दक्षिण में भीमराव की, पूर्व में ख.नं. 17 की बेची गयी जमीन, पिश्चम में शेष भूमि तथा ख.नं. 17 की चतुर्सीमा उत्तर में पंजाबराव की भूमि, दिक्षण में भीमराव की भूमि, पूर्व में नाला एवं पिश्चम में ख.नं. 6 की शेष भूमि तथा ख.नं. 103 के कय रकबे 0.890 हे. की चतुर्सीमा उत्तर में सूखा बरसाती नाला, दिक्षण में मोटेलाल की भूमि, पूर्व में अंतु गोंड की एवं पिश्चम में आम रास्ता है। वादीगण के द्वारा क्रय की गयी भूमियों को वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है जो कि वाद पत्र का अंग है।

वादीगण क. 01 एवं 02 का क्य की गयी भूमियों पर आज दिनांक तक नामांतरण नहीं हुआ है। तहसील न्यायालय आमला में विकय पत्र के आधार पर आवेदन दिये जाने पर राजस्व प्रकरण क. 3अ / 6 वर्ष 1995-96 में तहसीलदार के आदेश दिनांक 29.11.1996 के द्वारा वादीगण का विवादित भूमियों पर नामांतरण इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि विकेता कारू की मृत्यु हो जाने पर उसके समस्त वारसानों का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गया था एवं प्रतिवादी क. 02 एवं 03 द्वारा प्रकरण में आपत्ति प्रस्तृत की गयी थी। तत्पश्चात वादीगण के द्वारा उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मुलताई के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण क. 56अ / 6 वर्ष 1997-98 के आदेश दिनांक 21.05.1999 में क्रय शुदा भूमि पर वादी क. 01 एवं 02 का राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किये जाने एवं ऋण पुस्तिका प्रदान किये जाने के आदेश दिये गये एवं तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया गया। उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी कृ. 02 एवं 03 के द्वारा अपर आयुक्त होशंगाबाद के न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण क. 264ए / 1998-99 में पारित आदेश दिनांक 16.10.2006 के द्वारा अपील निरस्त कर दी गयी। तत्पश्चात पुनः से प्रतिवादीगण के द्वारा राजस्व मंडल ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत की गयी, जिसमें प्रकरण क. 2348—III / 2006 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2010 के द्वारा भी निगरानी निरस्त कर दी गयी एवं राजस्व अनुविभागीय अधिकारी मुलताई का निर्णय स्थिर रखा गया जो कि वादीगण के पक्ष में हुआ था। तत्पश्चात वादीगण के द्वारा उनके पक्ष में पारित आदेश के आधार पर विवादित संपत्तियों के संबंध में विक्रय पत्र दिनांक 28.08.1995 के आधार पर राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज कराये जाने हेतु पुनः से तहसीलदार न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया परंतु उस आवेदन पर चली कार्यवाही की जानकारी वादीगण को नहीं दी गयी। इसके पश्चात पुनः से वादीगण ने दिनांक 02.09.2015 को तहसीलदार न्यायालय आमला में आवेदन प्रस्तूत कर अपने पक्ष में हुए राजस्व न्यायालय के आदेशों एवं विक्रय पत्र दिनांक 28.08. 1995 के आधार पर नामांतरण दर्ज कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया जो कि खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात वादी क. 01 एवं 02 के द्वारा क्रय

शुदा भूमियों पर स्वत्व की घोषणा एवं वादी क. 03 द्वारा कारू से उत्तराधिकार में प्राप्त भूमियों पर 1/4 अंश के स्वत्व की घोषणा हेतु एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा बाबत दावा प्रस्तुत किया गया है।

5 प्रतिवादीगण क. 01 से 04 की ओर से संयुक्त रूप से जवाब दावा प्रस्तुत कर उसमें यह अभिवचन किया गया है कि विवादित भूमि ख.नं. 103 रकबा 0.890 हे. कारू की खानदानी संपत्ति की कमाई से एवं प्रतिवादी क. 02 एवं 03 की आय से मिलाकर कारू के नाम पर क्रय की गयी थी। साथ ही ख.नं. 6 एवं 17 भी कारू की स्वअर्जित संपत्ति न होकर खानदानी संपत्ति भी जिसे वादी क. 03 एवं प्रतिवादी क. 02 एवं 03 के पिता कारू अन्य पुत्रों की सहमति के बिना विक्रय करने में सक्षम नहीं था और न ही उसके द्वारा वादीगण के पक्ष में कोई विक्रय पत्र निष्पादित किया गया। विवादित भूमियों पर मात्र कारू का स्वत्व एवं आधिपत्य नहीं था बल्कि उसके सभी पुत्रों का शामिलाती स्वत्व एवं आधिपत्य था एवं कारू के द्वारा अपने जीवनकाल में ही विवादित भूमियों का अपने पुत्रों के मध्य बंटवारा कर अलग—अलग कब्जा सौंप दिया गया था जिसे जवाबदावे के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में बताया गया है कि किसे कौन सी भूमि प्राप्त हुई थी। चूंकि कारू के पुत्रों के बीच में कोई विवाद नहीं था इसलिए पृथक—पृथक नामांतरण नहीं हो पाये थे। बंटवारे में कारू की पुत्री को कोई भी हिस्सा नहीं दिया गया था।

कारू की मृत्यु उपरांत विवादित भूमियां ख.नं. 103, 6, 17 एवं 21 पर वादी क. 03 तथा प्रतिवादी क. 02, 03 एवं 04 का जब नाम दर्ज हुआ तब गंगाराम के द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 28.08.1995 की जानकारी नहीं दी गयी। कारू मृत्यु के करीब दो वर्ष पूर्व बीमार था। न ही उसने कभी विवादित जमीन का विकय किया और न ही उसे ऐसी कोई विधिक आवश्यकता थी। कारू हस्ताक्षर करना जानता था। इस प्रकार विकय पत्र दिनांक 28.08.1995 शुन्य दस्तावेज है जिससे वादी क. 01 एवं 02 को कोई भी हक नहीं मिलता है। क्रय की गयी भूमियों पर कभी भी वादीगण का कब्जा नहीं रहा है। आज दिनांक तक वादीगण का क्रय भूमियों पर नाम भी दर्ज नहीं हुआ है। प्रतिवादी क. 02 एवं 03 ने प्रतिवादी क. 01 को दिनांक 03.12.1996 को ख.नं. 6 में से रकबा 0.292 हे., ख.नं. 17 में से रकबा 0.118 हे., ख.नं. 21 में से रकबा 0.178 हे. तथा ख.नं. 103 में से रकबा 0.591 हे. विक्रय कर दिया और विक्रय की गयी भूमियों पर प्रतिवादी क. 01 का नाम दर्ज होकर क्रय दिनांक से ही प्रतिवादी क. 01 का आधिपत्य चला आ रहा है। इस तरह से खरीदी दिनांक 03.12.1996 से प्रतिवादी क. 01 के कब्जे होने से वह विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्वाधिकारी हो गया है। वादीगण को उपर्युक्त विक्रय पत्र की जानकारी प्रारंभ से ही थी। प्रतिवादीगण ने बंटवारे में प्राप्त अपने हक एवं अधिकार की भूमि ही विक्रय की थी। वादीगण का दावा समयावधि से बाहर है तथा वादी क. 03 का प्रकरण में कुसंयोजन है। वादी क. 03 गंगाराम को किस हैसियत से वादी बनाया गया है यह स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः दावा निरस्त किया जाए।

7 वाद के उचित न्यायपूर्ण निराकरण हेतु मेरे द्वारा निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी और साक्ष्य विवेचना उपरांत उनके समक्ष निष्कर्ष अंकित किये गये हैं:-

酉.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या विवादित भूमि ख.नं. 103 रकबा 1.562 हे., ख.नं. 6 रकबा 0.401 हे., ख.नं. 17 रकबा 0.304 हे. स्थित ग्राम सोनेगांव, तहसील आमला जिला बैतूल का विकेता कारू स्वत्वाधिकारी है ?	
2.	क्या वादी क. 03 गंगाराम के द्वारा वादी क. 01 एवं 02 के वली संरक्षक के रूप में विक्रय पत्र दिनांक 28. 08.1995 के द्वारा विक्रेता कारू से विवादित भूमि ख.नं. 103 में का रकबा 0.890 हे. क्रय किया गया ?	
3.	क्या वादी क. 03 गंगाराम के द्वारा वादी क. 01 एवं 02 के वली संरक्षक के रूप में विक्रय पत्र दिनांक 28. 08.1995 के द्वारा विक्रेता कारू से विवादित भूमि ख.नं. 6 में का रकबा 0.202 हे. व ख.नं. 17 का पूर्ण रकबा 0.304 हे. क्रय किया गया ?	
4.	क्या वादीगण उपर्युक्त विक्रय पत्रों के आधार पर विवादित भूमि ख.नं. 103, 6 एवं 17 रकबा क्रमशः 0. 890, 0.202 एवं 0.304 हे. के स्वत्वाधिकारी हैं ?	
5.	क्या वादीगण का क्रय दिनांक से ही उपर्युक्त विवादित भूमि पर आधिपत्य है ?	
6.	क्या वादी क. 03 गंगाराम विवादित भूमि ख.नं. 21 के 1/4 भाग का स्वत्वाधिकारी एवं आधिपत्यधारी है ?	
7.	क्या प्रतिवादी क. 02 एवं 03 के द्वारा प्रतिवादी क. 01 के पक्ष में विवादित भूमि ख.नं. 6 का रकबा 2.292 हे., ख.नं. 17 का रकबा 0.118 हे., ख.नं. 21 का रकबा 0.	

	178 हे., ख.नं. 103 का रकबा 0.591 हे., कुल रकबा 1.179 हे. का किया गया विक्रय पत्र दिनांक 03.12. 1996 वादीगण के हित के विपरीत होकर शून्य व निष्प्रभावी है?	
8.	क्या विवादित भूमि पर प्रतिवादी कृ. 01 का नामांतरण बिना किसी अधिकार व आधार के किया गया है ?	
9.	क्या दावा समय अवधि में है ?	
10.	सहायता एवं व्यय ?	

विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष

वाद प्रश्न क. 01 का निराकरण

- वादीगण ने अपने वाद पत्र में यह अभिवचन किया है कि विवादित भूमियां ख.नं. 6, 17, 21 एवं 103 वादी क. 03 एवं प्रतिवादी क. 02 से 04 के पिता कारू की स्वअर्जित संपत्ति थी। वादीगण ने यह भी बताया है कि कारू के द्वारा ख.नं. 103 का मूल रकबा 1.562 हे. था जिसमें से कारू के द्वारा 0.890 हे. भूमि मंजी पत्नी रामू से क्य की गयी थी एवं उपर्युक्त खसरा नंबर पर कारू का नाम मंजी पत्नी रामू एवं उसके वारसानों के साथ संयुक्त रूप से दर्ज चल आया। शेष अन्य भूमियां भी कारू की स्वअर्जित भूमियां थी। जबिक प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में यह अभिवचन किया है कि कारू के द्वारा ख.नं. 103 संयुक्त शामिलाती आय से कारू के नाम पर क्य की गयी थी जिस पर उसके सभी पुत्रों का बराबर का अधिकार था एवं शेष अन्य भूमियां ख.नं. 6, 17 एवं 21 कारू की खानदानी भूमियां थी।
- 9 वादी की ओर से कारू के द्वारा ख.नं. 103 रकबा 0.890 हे. श्रीमती मंजी पित रामू से क्य की गयी भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 10.07.1975 (प्रदर्श पी—1) प्रस्तुत किया है तथा अन्य भूमियों के संबंध में अधिकार अभिलेख वर्ष 1971—72 प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से ख.नं. 6 रकबा 0.401 हे., ख.नं. 17 रकबा 0.304 हे., ख.नं. 21 रकबा 0.178 हे. कारू पिता यादो के नाम पर दर्ज होना एवं खसरा पांचसाला वर्ष 1992—96 के अवलोकन से उपर्युक्त भूमियां कारू पिता यादो के नाम पर दर्ज होना एवं ख.नं. 103 रकबा 1.562 हे. पर कारू का नाम मंजी पित राम एवं उसके अन्य वारसानों के साथ दर्ज होना

प्रकट हो रहा है। जबकि प्रतिवादीगण की ओर से इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

10 प्रतिवादी क. 02 एवं 03 ने ख.नं. 103 रकबा 0.890 हे. का कारू के द्वारा संयुक्त आय से क्य करना बताया है। अतः यह प्रमाण भार प्रतिवादीगण के उपर है कि वह उपर्युक्त भूमि का कारू के द्वारा संयुक्त आय से क्य करना प्रमाणित करें। प्रतिवादीगण को यह प्रमाणित करना होगा कि संयुक्त हिंदू परिवार अस्तित्व में था और उसके केंद्रक से विवादित संपत्ति क्य की गयी थी परंतु प्रतिवादीगण के द्वारा इस संबंध में ऐसी कोई भी स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे कि यह निष्कर्ष निकाला जाये कि प्रतिवादीगण का विवादित भूमि क्य किये जाते समय आय का स्त्रोत क्या था। प्रतिवादीगण ने अभिवचन किया है कि उनकी मजदूरी की आय से जमीन क्य की गयी थी परंतु प्रतिवादीगण क्या मजदूरी करते थे, कितनी आय अर्जित होती थी इस संबंध में स्पष्ट मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अभाव है। साथ ही विक्रय पत्र प्रदर्श पी—1 में संयुक्त हिंदू परिवार के लिए संपत्ति क्रय करने का उल्लेख भी नहीं है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि विवादित संपत्ति ख.नं. 103 कारू के द्वारा संयुक्त परिवार की आय से क्रय की गयी थी।

प्रतिवादीगण की ओर से अन्य विवादित भूमि ख.नं. 6, 17 एवं 21 का कारू की खानदानी भूमि होना बताया गया है परंतु प्रतिवादीगण की ओर से ऐसे कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे कि यह प्रकट हो कि कारू को यह भूमियां कहां से प्राप्त हुई जिससे कि उपर्युक्त भूमियों के पैतृक होने के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाये। जबिक वादी की ओर से उपर्युक्त भूमियों के संबंध में जो राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं उनके अवलोकन से उपर्युक्त भूमियां एकमात्र कारू के स्वत्व एवं आधिपत्य की होना प्रकट हो रही है। अतः उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से समस्त विवादित भूमियां ख.नं. 103 रकबा 0.890 हे., ख.नं. 6 रकबा 0.401 हे., ख.नं. 17 रकबा 0.304 हे. एवं साथ ही ख.नं. 21 रकबा 0.178 हे. कारू की स्वअर्जित होकर स्वत्व एवं आधिपत्य की होना प्रमाणित होती है। तदानुसार वाद प्रश्न क. 01 "हां" के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 02, 03 एवं 04 का निराकरण

12 वादी क. 01 एवं 02 का यह अभिवचन है कि विवादित भूमियां ख. नं. 6 में से रकबा 0.202 हे., ख.नं. 17 का पूर्ण रकबा 0.304 हे. एवं ख.नं. 103 का रकबा 0.890 हे. उनकी नाबालिक अवस्था में उनके पिता गंगाराम के द्वारा वली की हैसियत से कारू से दिनांक 28.08.1995 को रजिस्टर्ड विकय पत्र से क्रय की गयी थी एवं क्रय दिनांक से ही विवादित भूमियों पर वादीगण का आधिपत्य चला आया परंतु वादीगण का विवादित भूमियों पर नाम दर्ज नहीं हो

पाया, जिसके संबंध में वादीगण की ओर से तहसील न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था परंतु तहसील न्यायालय से आवेदन निरस्त कर दिया गया। इसके बाद वादी के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के यहां उक्त आदेश की अपील किये जाने पर वादीगण के पक्ष में आदेश हुआ परंतु प्रतिवादीगण के द्वारा उपर्युक्त आदेश की अपील किये जाने पर अपील निरस्त हुई एवं तत्पश्चात पुनः से पुनरीक्षण राजस्व मंडल में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर वह भी निरस्त हुआ एवं इस प्रकार वादीगण के पक्ष में हुआ अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा गया। तत्पश्चात वादी के द्वारा उपर्युक्त आदेशों के साथ एवं अपने पक्ष में हुए विक्रय पत्र दिनांक 28.08.1995 के माध्यम से नामांतरण हेतु तहसील न्यायालय में आवेदन दिया गया जो कि निरस्त हुआ।

जबिक प्रतिवादीगण की ओर से दावे में यह अभिवचन किया गया है कि कारू के द्वारा कभी भी वादीगण के पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन नहीं किया गया। न ही कारू ऐसा करने में सक्षम था। साथ ही कारू के द्वारा उसके जीवनकाल में ही विवादित भूमियों का अपने पुत्रों के बीच बंटवारा कर दिया गया था। वादीगण के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र फर्जी है क्योंकि कारू के द्वारा ऐसा कोई भी विक्रय नहीं किया गया। साथ ही वादी को स्वयं का दावा प्रमाणित करना है, प्रमाण भार उसी पर है एवं वह प्रतिवादी पक्ष की दुर्बलता का लाभ भी नहीं ले सकता है एवं इस संबंध में न्याय दृष्टांत रामदास विरुद्ध सलीम अहमद 1999(1) विधि भास्वर 89 एवं न्याय दृष्टांत फूलचंद गर्ग विरुद्ध गोपालदास अग्रवाल एवं अन्य 2002(1) एम.पी.जे.आर.एस.एन. 32 प्रस्तुत किया है।

वादीगण की ओर से विवादित भूमि ख.नं. 103 पर अपने स्वत्व के संबंध में मूल एवं सत्यापित प्रति विक्रय पत्र दिनांक 28.08.1995 (प्रदर्श पी—4) तथा ख.नं. 6 एवं 17 पर अपने स्वत्व के संबंध में मूल एवं सत्यापित प्रति विक्रय पत्र दिनांक 28.08.1995 (प्रदर्श पी—2) प्रस्तुत किया गया है। उपर्युक्त दस्तावेज रिजस्टर्ड है जिसके संबंध में न्याय दृष्टांत Shanti Budhiya Vesta Patel V. Nirmala Jayprakash Tiwari AIR 2010 SC 2132 में यह प्रतिपादित किया गया है कि — "We cannot lose sight of the fact that a registered document has a lot of sanctity attached to it and this sanctity cannot be allowed to be lost without following the proper procedure." अर्थात रिजस्टर्ड दस्तावेज अपने साथ वैधता व पवित्रता रखते हैं और उन्हें अविश्वसनीय साबित करने हेतु टोस साक्ष्य की आवश्यकता है, अवलोकनीय है।

15 प्रतिवादीगण की ओर से उपर्युक्त विक्रय पत्र को इस आधार पर विावदित किया गया है एवं शून्य दस्तावेज कहा गया है कि विक्रेता कारू को उपर्युक्त भूमियों का विक्रय करने का अधिकार नहीं था एवं साथ ही कारू के द्व ारा ऐसा कोई विकय किया ही नहीं गया है। अतः उपर्युक्त के संबंध में प्रमाण भार प्रतिवादीगण के उपर है। प्रतिवादीगण की ओर से विवादित भूमि ख.नं. 103 कारू की स्वअर्जित न होकर संयुक्त शामिलाती आय से क्रय करना बताया है एवं इसी आधार पर कारू को उपर्युक्त भूमि के विक्रय करने का अधिकार न होने का अभिवचन किया गया है एवं उपर्युक्त भूमि के साथ-साथ अन्य विवादित भूमि ख.नं. 6, 17 के संबंध में यह अभिवचन किया गया है कि समस्त भूमियां कारू की खानदानी होकर वादी क. 03 एवं प्रतिवादी क. 02, 03, 04 की संयुक्त स्वामित्व की भूमि थी इसलिए कारू को अन्य सहखातेदारों की सहमति के बिना विक्रय का अधिकार नहीं था परंतु वाद प्रश्न क. 01 के निष्कर्षानुसार उपर्युक्त विवादित भूमि कारू की स्वअर्जित होने के साथ-साथ उसके स्वत्व एवं आधिपत्य की होना प्रमाणित पायी गयी है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी को इस तर्क से एवं अभिवचन से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। साथ ही प्रतिवादी के द्व ारा यह कहा गया है कि विवादित भूमियों के संबंध में कारू ने कोई विक्रय पत्र का निष्पादन नहीं किया था क्योंकि मृत्यु के एक-दो वर्ष पूर्व कारू अत्यन्त बीमार था वह चल फिर नहीं सकता था एवं साथ ही कारू पढ़ा लिखा था और वह हस्ताक्षर करना जानता था जबकि विक्रय पत्र में अंगूठा निशानी है परंत् प्रतिवादीगण की ओर से ऐसी कोई भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे कि यह प्रकट हो कि कारू किस बीमारी से ग्रसित था एवं साथ ही वह चलने फिरने में असमर्थ था। जहां पर विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर न होकर कारू के अंगुठा निशानी होने का प्रश्न है, वहां विक्रय पत्र प्रदर्श पी–2 एवं प्रदर्श पी–4 के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि विक्रय पत्र में ही यह लेख है कि वृद्धावस्था के कारण हाथ कांपने की स्थिति होने से विक्रेता के द्वारा अंगूठा निशानी किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण की ओर से ऐसी कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे कि यह प्रकट हो कि विकेता कारू के द्वारा प्रतिकृल परिस्थितियों में पंजीयन विक्रय पत्र का निष्पादन किया गया था।

प्रितवादीगण की ओर से यह तर्क किया गया कि वादीगण के द्वारा विकय पत्र दिनांक 28.08.1995 प्रदर्श पी—2 एवं प्रदर्श पी—4 का विधिवत निष्पादन प्रमाणित नहीं किया गया है। साथ ही इस संबंध में न्याय दृष्टांत Ghasitibai Vs Ramgopal Singh & ors I.L.R.(2008) M.P. 872, न्याय दृष्टांत Haseena Bi Vs. State of M.P. 2011(4) M.P.L.J. 140, न्याय दृष्टांत Sitaram Vs. Ramcharan & others 1994 J.L.J. 657, न्याय दृष्टांत Babulal Chunnilal Vs. Dwarkabai & others 1996 M.P.L.J. 46 एवं न्याय दृष्टांत Anokhilal & another Vs. Sajjan Singh & others 2009 R.N. 104 प्रस्तुत किया है, जिसमें माननीय न्यायालयों द्वारा यह अवधारित किया गया है

कि मात्र दस्तावेजों को प्रदर्शित किये जाने से वह प्रमाणित नहीं माने जाते हैं। साथ ही साक्ष्य अधिनियम की धारा 67 के तहत दस्तावेजों को प्रमाणित किया जाना आवश्यक है एवं विक्रय पत्र के महत्वपूर्ण गवाह अनुप्रमाणक साक्षियों को आहूत कर प्रमाणित कराया जाना आवश्यक है। अर्थात उपर्युक्त समस्त न्यायिक दृष्टांत दस्तावेजों के प्रमाणीकरण से संबंधित है।

तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण के द्वारा प्रकरण में प्रतिदावा प्रस्तुत कर विक्रय पत्र दिनांक 28.08.1995 को शून्य घोषित कराये जाने की सहायता नहीं चाही गयी है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 28.08.1995 प्रदर्श पी-2 एवं प्रदर्श पी-4 विधिवत रिजस्टर्ड दस्तावेज हैं। रजिस्टर्ड विकय पत्र के संबंध में धारा 114 साक्ष्य अधिनियम के अधीन यह उपधारणा की जा सकती है कि ''न्यायिक व पदीय कार्य नियमित रूप से संपादित किये गये हैं और इसलिए यदि विक्रय पत्र का पंजीयन भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत उप पंजीयक द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किया गया है तो यह उपधारणा कर ली जायेगी कि विक्रय पत्र का निष्पादन उचित रूप से हुआ है जब तक कि इसका खंडन किसी तर्क पूर्ण साक्ष्य द्वारा नहीं कर दिया जाता।" इस संबंध में न्याय दृष्टांत राजेंद्र प्रसाद विरुद्ध अतूल कुमार 2005 (5) एम.पी.एच.टी. 383 अवलोकनीय है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के माध्यम से उपर्युक्त विक्रय पत्रों के निष्पादन का तर्क पूर्ण खंडन नहीं किया जा सका है। जबकि वादीगण की ओर से प्रस्तुत विकय पत्रों में विकय दिनांक को ही स्टाम्प कय किया गया है एवं विकय पत्र में प्रतिफल राशि प्राप्त कर लिया जाना लेख है। साथ ही वादीगण के द्वारा विवादित भूमि क्रय किये जाने के पूर्व विक्रेता कारू का स्वामित्व प्रमाणित किया गया है। अतः ऐसी परिस्थितियों में प्रतिवादीगण को उनके द्वारा दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के संबंध में प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। अतः प्रदर्श पी-2 एवं प्रदर्श पी-4 के दस्तावेज से वादी क. 01 एवं 02 विवादित भूमि ख.नं. ६ रकबा ०.२०२ हे., ख.नं. १७ रकबा ०.३०४ हे., ख.नं. १०३ रकबा ०. 890 हे. के स्वत्वाधिकारी होना प्रमाणित पाये जाते है। तदानुसार वाद प्रश्न क. 02 03 एवं 04 "हां" के रूप में निष्कर्षित किये जाते हैं।

वाद प्रश्न क. 05 का निराकरण

वादीगण ने अपने दावे में अभिवचन किय है कि विक्रय पत्र दिनांक 28.08.1995 से ही उनका क्रय की गयी विवादित भूमि ख.नं. 6 रकबा 0. 202 हे., ख.नं. 17 रकबा 0.304 हे., ख.नं. 103 रकबा 0.890 हे. पर आधिपत्य है। जबिक प्रतिवादीगण ने यह अभिवचन किया है कि विवादित भूमियां कारू के जीवनकाल में ही उन्हें बंटवारे में प्राप्त हो गयी थी और बंटवारे में प्राप्त हक हिस्से की भूमि उन्होंने विक्रय कर दी जिस पर क्रय दिनांक से प्रतिवादी क. 01 गणेश का कब्जा है। वादीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा है।

19 वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 28.08. 1995 (प्रदर्श पी—2) जो कि ख.नं. 6 एवं 17 के संबंध में है तथा विक्रय पत्र दिनांक 28.08.1995 (प्रदर्श पी—4) जो कि ख.नं. 103 के संबंध में है, उनके अवलोकन से केता को क्रय की गयी भूमि पर कब्जा दिया जाना लेख है। वादीगण ने क्रय दिनांक से स्वयं का आधिपत्य बताया है। यद्यपि राजस्व दस्तावेजों में नाम दर्ज न होने का अभिवचन किया है एवं इस हेतु राजस्व न्यायालय में नामांतरण हेतु वर्ष 1995—96 में ही आवेदन दिया जाना बताया है एवं तत्पश्चात से वर्ष 2010 तक राजस्व न्यायालय में उपर्युक्त विक्रय पत्रों के आधार पर नाम दर्ज कराये जाने के संबंध में राजस्व न्यायालय में उभयपक्ष के मध्य कार्यवाही होना बताया है।

वादी साक्षी राजेश (वा.सा.—1), कमलेश (वा.सा.—2) एवं गंगाराम (वा.सा.—3) ने मुख्य परीक्षण में विवादित भूमि पर स्वयं का आधिपत्य बताया है एवं प्रतिपरीक्षण में उपर्युक्त साक्षीगण पूर्णतः अखंडित रहे हैं। प्रतिवादीगण ने भी विवादित भूमि पर स्वयं का आधिपत्य बताया है। साथ ही यह भी तर्क लिया है कि प्रतिवादी क. 02 एवं 03 के द्वारा प्रतिवादी क. 01 को विवादित भूमियों का विकय कर दिये जाने के उपरांत क्रय दिनांक से ही प्रतिवादी क. 01 का आधिपत्य है और राजस्व दस्तावेजों में भी उसका आधिपत्य दर्ज चला आ रहा है। साथ ही न्याय दृष्टांत Gurunath Manohar Pavaskar & ors. Vs. Nagesh Siddappa Navalgund & ors. A.I.R. 2008 S.C. 901 जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि राजस्व अभिलेखों में की गयी प्रविष्टियां स्वत्व का सबूत नहीं होती है परंतु आधिपत्य की उपधारणा की जा सकती है, प्रस्तुत किया गया है।

21 अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रकट है कि प्रतिवादी क. 02 एवं 03 के द्वारा प्रतिवादी क. 01 को विवादित भूमियों का विकय किये जाने के उपरांत क्रय की गयी भूमियों पर राजस्व दस्तावेजों में प्रतिवादी क. 01 गणेश का नाम दर्ज चला आ रहा है परंतु वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज संशोधन पंजी दिनांक 17.04.1996 के अवलोकन से वादी क. 01 एवं 02 का नाम विक्रय पत्र दिनांक 28.08.1995 के आधार पर दर्ज होना प्रकट हो रहा है परंतु इसी संशोधन पंजी के अवलोकन से यह भी प्रकट हो रहा है कि इस संबंध में प्रतिवादीगण के द्वारा आपत्ति ले लिये जाने के कारण प्रकरण राजस्व न्यायालय में अंतरित कर दिया गया एवं तत्पश्चात कारू की मृत्यु हो जाने के कारण संशोधन पंजी दिनांक 25.05.1996 (प्रदर्श पी—10) में कारू के समस्त वारसान अर्थात वादी क. 03 गंगाराम एवं प्रतिवादी क. 02, 03, 04 का नाम दर्ज होना प्रकट हो रहा है एवं तत्पश्चात प्रतिवादी क. 01 का नाम विक्रय पत्र दिनांक 03.12.1996 के आधार पर क्रय की गयी भूमियों पर दर्ज होना प्रकट हो रहा है एतं त्र सुस्थापित विधि है कि नामांतरण के आधार पर किसी

व्यक्ति को संपत्ति में हित या अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति ने भूमि में विधिक प्रवर्तन या अंतरण के द्वारा कोई अधिकार या हक प्राप्त कर लिया है और उसके नाम नामांतरण नहीं हुआ है तो इस आधार पर उस व्यक्ति का हक या अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है। राजस्व अभिलेखों में इंद्राज का विधिक महत्व होता है और धारा 117 म.प्र.भू.रा.सं. के अंतर्गत उसके सही होने की उपधारणा की जाती है कि इंद्राज विधिक प्रक्रिया के अनुसार किया गया है परंतु यदि कोई इंद्राज गलती से किया गया है या भूमि स्वामी को सुनवायी का अवसर दिये बिना किया गया है या राजस्व अधिकारी के आदेश के बाद भी दर्ज नहीं किया गया है तब उपर्युक्त उपधारणा खंडनीय है।

प्रकरण में प्रतिवादी क. 01 का नाम विवादित भूमियों पर विकय पत्र के आधार पर दर्ज होने के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तृत नहीं किया गया है जिससे कि यह स्पष्ट हो कि वादीगण को उस नामांतरण प्रकरण में पक्षकार बनाकर उन्हें सूनवायी का अवसर दिया गया था। वादीगण के द्वारा स्वयं के द्वारा क्रय की गयी भूमियों पर नामांतरण हेत् वर्ष 1996 में आवेदन दिये जाने पर प्रतिवादीगण के द्वारां आपत्ति ली गयी एवं तत्पश्चात उभयपक्ष के मध्य उपर्युक्त नामांतरण के संबंध में निरंतर वर्ष 2010 तक कार्यवाही होती रही एवं वर्ष 2010 में वादीगण के पक्ष में राजस्व मंडल से क्रय की गयी भूमियों पर नामांतरण के आदेश होने के बाद पुनः से तहसीलदार के न्यायालय द्वारा वादीगण का नामांतरण का आवेदन खारिज कर दिया गया। तब उपर्युक्त परिस्थितियों में जबिक वादीगण द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 28.08.1995 के माध्यम से विवादित भूमियां क्रय किया जाना प्रमाणित पाया गया है एवं वादीगण के पक्ष में राजस्व न्यायालय से नामांतरण आदेश भी हुए हैं परंतु इसके बाद भी वादीगण का नाम विवादित भूमियों पर दर्ज न होने से एवं प्रतिवादी क. 01 के नामांतरण प्रकरण में वादीगण को सुनवायी का अवसर दिया गया है या नहीं, यह सुस्पष्ट न होने से राजस्व दस्तावेजों में प्रतिवादी क. 01 का नाम के इंद्राज का खंडन हो जाता है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 28.08.1995 प्रदर्श पी-2 एवं प्रदर्श पी-4 के अवलोकन से विकय की गयी भूमियों का केता को आधिपत्य दे दिया जाना प्रकट हो रहा है। उपर्युक्त परिस्थितियों में वादीगण का उपर्युक्त विक्रय पत्र दिनांक 28.08.1995 के आधार पर वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शें में दर्शित / रेखांकित विवादित भूमियों के भू-भाग पर आधिपत्य होना प्रमाणित पाया जाता है। तदानुसार वाद प्रश्न क. 05 "हां" के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 06 का निराकरण

23 वादी के द्वारा यह अभिवचन किया गया है कि उनके द्वारा कारू से विवादित भूमियां विकय पत्र दिनांक 28.08.1995 के माध्यम से ख.नं. 6, 17 एवं 103 क्रय किये जाने के उपरांत ख.नं. 6 का शेष रकबा एवं ख.नं. 21 कारू के स्वत्व एवं आधिपत्य का होने एवं तत्पश्चात उसकी मृत्यु उपरांत उसके पुत्र अर्थात वादी क. 03 एवं प्रतिवादी क. 02, 03, 04 को वारसाना नामांतरण में प्राप्त हुई जिसमें उसकी सभी संतानों का बराबर—बराबर अंश निहित है। अतः वादी क. 03 गंगाराम उपर्युक्त भूमियों पर प्रतिवादी क. 02, 03, 04 के साथ 1/4 अंश का स्वत्वाधिकारी है। जबिक प्रतिवादी ने कारू की समस्त विवादित भूमियों का उसके जीवनकाल में ही बंटवारा हो जाना बताया है एवं बंटवारे में प्राप्त अपना अंश विकय कर दिया जाना बताया है परंतु वाद प्रश्न क. 07 की विवेचना में प्रतिवादीगण कारू के द्वारा विवादित भूमियों का मौखिक बंटवारा प्रमाणित करने में असफल रहे हैं एवं साथ ही विवादित भूमियों पर एकमात्र स्वत्व प्रमाणित करने में भी असफल रहे हैं।

प्रकरण में यह प्रमाणित पाया गया है कि वादीगण के द्वारा विवादित भूमि ख.नं. 6 में से रकबा 0.202 हे. एवं ख.नं. 17 का पूर्ण रकबा 0.304 हे. तथा ख.नं. 103 का भी पूर्ण रकबा 0.890 हे. क्रय कर स्वत्व प्राप्त कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में कारू के पास उसकी मृत्यु के समय ख.नं. 6 का शेष रकबा 0.199 हे. एवं ख.नं. 21 का रकबा 0.178 हे. शेष रहता है। कारू की मृत्यू उपरांत उपर्युक्त ख.नं. 6 के शेष रकबे एवं ख.नं. 21 पर उत्तराधिकार में वादी क. 03 एवं प्रतिवादी क. 02, 03, 04 को प्राप्त होने के कारण संयुक्त स्वत्वाधिकारी हुए। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज संशोधन पंजी वर्ष 1996 (प्रदर्श पी-10) के अवलोकन से भी विवादित भूमियां कारू के वारसानों के नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रही है। यद्यपि उपर्युक्त दस्तावेज (प्रदर्श पी-10) पर समस्त भूमियों पर वादी क. 03 एवं प्रतिवादी क. 02, 03, 04 का नाम दर्ज है परंतु वादीगण के द्वारा कारू के जीवनकाल में ही ख.नं. 6, 17 एवं 103 का रकबा क्रमशः 0.202 हे., 0.304 हे. 0.890 हे. क्रय कर लिये जाने के कारण कारू का इन भूमियों से स्वत्व समाप्त हो गया था। अतः ऐसी स्थिति में उपर्युक्त दस्तावेज में समस्त भूमियों पर वादी क. 03 एवं प्रतिवादी क. 02, 03, 04 का नाम दर्ज होने से कोई प्रतिकूल प्रभाव वादीगण के स्वत्व पर नहीं पड़ता है परंत् कारू की शेष भूमियां एवं क्रय की गयी भूमियों के शेष बचे रकबे पर वादी क्र. 03 एवं प्रतिवादी क. 02, 03, 04 संयुक्त स्वत्वाधिकारी हुए। फलतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि वादी क. 03 गंगाराम विवादित भूमि ख.नं. 21 रकबा 0.178 हे. एवं ख.नं. 6 के शेष बचे रकबे 0.199 हे. का 1/4 अंश का स्वत्वाधिकारी है। चूंकि उपर्युक्त भूमियां संयुक्त स्वत्व की भूमि होना प्रमाणित पायी गयी है जिस पर सभी सहखातेदारों का आधिपत्य प्रत्येक अंश पर माना जाता है। फलतः वादी क. 03 गंगाराम का उपर्युक्त भूमि पर आधिपत्य भी प्रमाणित पाया जाता है। तदानुसार वाद प्रश्न क. 06 "हां" के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 07 का निराकरण

वादीगण ने अपने दावे में अभिवचन किया है कि वादी के द्वारा

विकय पत्र दिनांक 28.08.1995 के आधार पर अपना नाम दर्ज कराने हेत् तहसीलदार न्यायालय में आवेदन दिया गया जो कि दिनांक 29.11.1996 को खारिज हुआ। तत्पश्चात प्रतिवादी क. 02 एवं 03 ने वादीगण के स्वत्व की भूमि हड़पने की नीयत से दिनांक 03.12.1996 को रिजस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से ख.नं. ६ रकबा ०.४०१ हे. में से ०.२९२ हे. एवं ख.नं. १७ रकबा ०.३०४ हे. में से ०. 118 हे. एवं ख.नं. 21 में से 0.178 हे. एवं ख.नं. 103 का रकबा 0.591 हे. प्रतिवादी क. 01 को विकय कर दी, जो कि उपर्युक्त विकय की गयी भूमियों में से कुछ भूमियां वादी क. 01 एवं 02 के द्वारा पूर्व में ही कय की जा चुकी थी एवं उनके शेष बचे रकबे एवं अन्य भूमियों पर वादी क. 03 का प्रतिवादी क. 02, 03, 04 के साथ अंश था। अतः प्रतिवादीगण के द्वारा किया गया विक्रय पत्र विधि विरूद्ध है और उन पर बंधनकारी नहीं है। जबकि प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में यह अभिवचन किया है कि प्रतिवादी क. 02, 03 एवं 04 तथा वादी क. 03 के पिता कारू ने अपने जीवनकाल में तीनों पूत्रों के बीच अलग-अलग बंटवारा करके कब्जा सौंप दिया था और उसी बंटवारे में प्राप्त भूमि पर सभी अपने-अपने हिस्से पर काबिज चले आये परंतु राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक नाम दर्ज नहीं कराया था। प्रतिवादी क. 02 एवं 03 के द्वारा बंटवारे में प्राप्त अपने हक हिस्से की भूमि प्रतिवादी क. 01 को विकय की गयी थी जिस पर क्रय दिनांक से ही प्रतिवादी क. 01 का नाम दर्ज होकर उसका आधिपत्य चला आ रहा है।

वादी की ओर से अपने अभिवचनों के समर्थन में दस्तावेज संशोधन पंजी वर्ष 1996 प्रदर्श पी-10, प्रदर्श पी-11, प्रदर्श पी-12, किश्तबंदी वर्ष 1998-99 (प्रदर्श पी-17), किश्तबंदी वर्ष 2001-2002 प्रदर्श पी-8 एवं प्रदर्श पी-19, किश्तबंदी वर्ष 2003-04 प्रदर्श पी-20 एवं प्रदर्श पी-21, किश्तबंदी वर्ष 2006-07 प्रदर्श पी-22, किश्तबंदी वर्ष 2007-08 प्रदर्श पी-23, किश्तबंदी वर्ष 2008-09 प्रदर्श पी-24 एवं 25, किश्तबंदी वर्ष 2010-11 प्रदर्श पी-26, किश्तबंदी वर्ष 2016—17 प्रदर्श पी—27, नक्शा वर्ष 2016—17 प्रदर्श पी—28. खसरा वर्ष 2005 से 2017 (प्रदर्श पी-29), किश्तबंदी वर्ष 2016-17 प्रदर्श पी-30, नक्शा वर्ष 2016-17 प्रदर्श क्रमशः 31 एवं 32, खसरा वर्ष 2005-17 प्रदर्श पी-33, किश्तबंदी वर्ष 2016-17 प्रदर्श पी-34, नक्शा वर्ष 2016-17 कमशः प्रदर्श पी-35, 36, 37, 38, खसरा वर्ष 2005 से 2017 प्रदर्श पी-39. अधिकार अभिलेख वर्ष 1971-72 प्रदर्श पी-52 तथा विक्रय पत्र दिनांक 03.12. 1996 की सत्यप्रतिलिपि (प्रदर्श पी-40) प्रस्तृत की है एवं राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन प्रदर्श पी–41, राजस्व न्यायालय द्वारा चाहा गया प्रतिवेदन प्रदर्श पी-42 एवं राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन प्रदर्श पी-43, 44 एवं तहसीलदार आमला का रमरण पत्र प्रदर्श पी-45, राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन एवं पंचनामा प्रपी-46, 47, 48, कलेक्टर महोदय को दिया गया आवेदन प्रदर्श पी–49. तहसीलदार आमला के राजस्व प्रकरण

143/2015—16 की आदेश पत्रिकाऐं प्रदर्श पी—50 एवं आदेश दिनांक 21.07. 2016 प्रदर्श पी—51 प्रस्तुत किये हैं।

प्रतिवादीगण क. 02 एवं 03 ने विकय पत्र दिनांक 03.12.1996 के 27 माध्यम से विक्रय की गयी भूमियां स्वयं के स्वत्व एवं आधिपत्य की तथा अपने पिता कारू से बंटवारे में प्राप्त होना बताया है परंतु प्रतिवादीगण की ओर से अभिलेख पर ऐसी कोई भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तृत नहीं की गयी है जिससे कि यह प्रकट हो कि कारू के द्वारा अपनी संपत्तियों का विभाजन अपने पुत्रों के बीच किस दिनांक को, किस समय एवं किनके समक्ष किया गया। वादीगण के द्वारा वर्ष 1996 में ही राजस्व न्यायालय में स्वयं के द्वारा क्रय की गयी भुमियों के संबंध में नामांतरण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी थी जिसमें प्रतिवादीगण भी उपस्थित थे। साथ ही प्रतिवादीगण के द्वारा उस समय यह आपत्ति नहीं ली गयी कि कारू के द्वारा विवादित भूमियों का बंटवारा उसके पुत्रों के मध्य कर दिया गया है एवं वादीगण द्वारा क्रय की गयी भूमियां क्रय किये जाने के पूर्व ही प्रतिवादीगण को बंटवारे में प्राप्त हो गयी थी। साथ ही यदि कारू के द्वारा उसके जीवनकाल में ही अपने पुत्रों के बीच विवादित भूमियों का बंटवारा करके पृथक-पृथक आधिपत्य दे दिया गया था तब प्रतिवादीगण के द्वारा बंटवारे में प्राप्त भूमियों पर अपना नाम दर्ज कराने के संबंध में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। साथ ही वर्ष 2010 तक उभयपक्षों के मध्य राजस्व न्यायालयों में हुई कार्यवाहियों में प्रतिवादी के द्वारा इस तथ्य की जानकारी सामने क्यों नहीं लायी गयी। इसके संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपर्युक्त परिस्थितियों प्रतिवादीगण के विरुद्ध विचारणीय हैं।

28 वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज संशोधन पंजी प्रदर्श पी—9 एवं 10 के अवलोकन से विवादित भूमियां कारू की मृत्यु उपरांत उसकी संतानों के नाम पर संयुक्त शामिलाती दर्ज होना प्रकट हो रही है तथा दस्तावेज किश्तबंदी वर्ष 1998—99 प्रदर्श पी—17, एवं 2001—2002 प्रदर्श पी—19, किश्तबंदी वर्ष 2003—04 प्रदर्श पी—21, किश्तबंदी वर्ष 2007—08 प्रदर्श पी—23, किश्तबंदी वर्ष 2008—09 प्रदर्श पी—25, किश्तबंदी वर्ष 2010—11 प्रदर्श पी—26, किश्तबंदी वर्ष 2016—17 प्रदर्श पी—27, खसरा वर्ष 2005 से 2017 प्रदर्श पी—29 एवं किश्तबंदी वर्ष 2016—17 प्रदर्श पी—30, खसरा वर्ष 2005 से 2017 प्रदर्श पी—33 के अवलोकन से विवादित भूमि ख.नं. 6 एवं 17 क्रमशः रकबा 0.109 हे., 0.186 हे. एवं ख.नं. 103 रकबा 0.979 हे. गंगाराम एवं कारू के नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रहा है एवं दस्तावेज किश्तबंदी वर्ष 2001—02 प्रदर्श पी—18, प्रदर्श पी—20, प्रदर्श पी—23, प्रदर्श पी—26 एवं खसरा वर्ष 2005 से 2017 प्रदर्श पी—39 के अवलोकन से विवादित भूमि ख.नं. 6/2 रकबा 0.292 हे., 17/2 रकबा 0.118 हे., ख.नं. 21 रकबा 0.178 हे., ख.नं. 103/2 रकबा 0.591 हे. प्रतिवादी क.

01 गणेशराव के स्वत्व एवं आधिपत्य में दर्ज होना प्रकट हो रहा है।

प्रतिवादी क. 02 एवं 03 का प्रतिवादी क. 01 को विक्रय की गयी भुमियों पर एकमात्र स्वयं का स्वत्व एवं आधिपत्य उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हो रहा है। वादी क. 03 एवं प्रतिवादी क. 02, 03, 04 के पिता कारू की मृत्यु उपरांत समस्त विवादित भूमियां कारू के पुत्र, पुत्रियों के नाम पर दर्ज हुई। अर्थात समस्त भूमियां संयुक्त स्वामित्व की भूमि हुई। प्रतिवादीगण विक्य की गयी भूमियों का अपने पिता कारू से बंटवारे में प्राप्त होना प्रमाणित नहीं कर पाये हैं। जबकि वाद प्रश्न क. 02, 03 एवं 04 के निष्कर्षानुसार वादीगण ने विवादित भूमि ख.नं. 6 रकबा 0.202 हे., ख.नं. 17 रकबा 0.304 हे. एवं ख.नं. 103 रकबा 0.890 हे. का स्वत्व विक्रय पत्र दिनांक 28.08.1995 के माध्यम से प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। इस प्रकार जबकि प्रतिवादीगण विकय की गयी भूमियों पर अपना एकमात्र स्वत्व प्रमाणित नहीं कर पाये हैं, तब ऐसे स्थिति में उन्हें विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। साथ ही वादीगण के द्वारा विवादित भूमियां कारू से क्रय करने के उपरांत उनके शेष बचे रकबे एवं कारू की अन्य संपत्ति ख.नं. 21 पर वादी क. 03 एवं प्रतिवादी क. 02, 03 एवं 04 संयुक्त स्वत्वाधिकारी हुए। स्पष्टतः विवादित भूमियों पर प्रतिवादीगण का भी अंश निहित है परंतु वादी के द्वारा ख.नं. 17 एवं ख.नं. 103 का पूर्ण रकबा क्रय किया जा चुका था। अर्थात कारू की मृत्यु के पूर्व ही कारू का उपर्युक्त भूमियों पर से पूर्णतः स्वत्व समाप्त हो चुका था परंतु अन्य ख. नं. 6 रकबा 0.401 है. में से वादी के द्वारा मात्र 0.202 हे. ही क्रय किया गया था। अर्थात ख.नं. ६ में से शेष भूमि ०.१९९ हे. तथा ख.नं. २१ का रकबा ०.१७८ हे. रहता है, जिस पर कारू की मृत्यू उपरांत उसके पूत्र अर्थात वादी क. 03 एवं प्रतिवादी क. 02, 03, 04 बराबर अंश अर्थात 1/4 अंश के स्वत्वाधिकारी हुए एवं प्रतिवादीगण को ख.नं. 6 एवं 21 में से मात्र अपने एक चौथाई अंश के ही विक्रय का अधिकार रह जाता है। प्रतिवादी क. 02 एवं 03 के द्वारा ख.नं. 17 एवं 103 रकबा कमशः 0.118 हे., एवं 0.591 हे. का विकय किया गया है जिसे किये जाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। अतः प्रतिवादी क. 02 एवं 03 के द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 03.12.1996 के माध्यम से प्रतिवादी क. 01 गणेश को किये गये विकय उस सीमा तक शून्य एवं निष्प्रभावी है जिस सीमा तक वादी क. 01 एवं 02 तथा वादी क. 03 का हित प्रभावित होता है। तदानुसार वाद प्रश्न क. 07 उपर्युक्तानुसार निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 08 का निराकरण

30 प्रतिवादी क. 02 एवं 03 के द्वारा प्रतिवादी क. 01 के पक्ष में विकय पत्र दिनांक 03.12.1996 निष्पादित किये जाने के उपरांत उपर्युक्त विकय पत्र के आधार पर प्रतिवादी क. 01 का नाम विवादित भूमियों पर दर्ज हुआ। वादीगण की ओर से प्रस्तुत संशोधन पंजी वर्ष 1997—98 (प्रदर्श पी—12) के

अवलोकन से प्रतिवादी क. 01 गणेश का नाम विवादित भूमि ख.नं. 6/1 रकबा 0.292 हे., ख.नं. 17 रकबा 0.118 हे., ख.नं. 21/1 रकबा 0.178 हे., ख.नं. 103 / 1 रकबा 0.591 हे. पर तहसीलदार के आदेश दिनांक 07.03.1998 के अनुसार प्रतिवादी मारूति एवं लक्ष्मण से क्रय किये जाने के आधार पर दर्ज होना प्रकट हो रहा है परंतु प्रतिवादीगण की ओर से तहसीलदार के उपर्युक्त आदेश एवं उपर्युक्त आदेश से संबंधित नामांतरण प्रकरण के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे यह प्रकट हो कि वादीगण को उपर्युक्त नामांतरण प्रकरण में पक्षकार बनाया गया था या उन्हें सुनवायी का अवसर प्राप्त हुआ था या नहीं। साथ ही वाद प्रश्न कमांक 07 के निष्कर्षानुसार उपर्युक्त विकय पत्र वादीगण के हित की सीमा तक निष्प्रभावी एवं शून्य पाया गया है। अतः ऐसी रिथिति में प्रतिवादी क. 01 का विवादित भूमियों पर नामांतरण हो जाने पर भी ऐसे नामांतरण का कोई प्रभाव नहीं रह जाता है क्योंकि यह उल्लेखनीय है कि मात्र नामांतरण से किसी को हित या स्वत्व का अर्जन नहीं होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बलवंत सिंह विरूद्ध दौलत सिंह ए.आई.आर. 1997 एस. सी. 2719 अवलोकनीय है। चूंकि वाद प्रश्न क. 07 के निष्कर्षानुसार प्रतिवादी क. 01 के पक्ष में किया गया विकय पत्र ही शून्य पाया गया है, तब ऐसी स्थिति में उसके माध्यम से किये गये नामांतरण का कोई आधार नहीं रह जाता है। तदानुसार वाद प्रश्न क. 08 "हां" के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 09 का निराकरण

वादीगण ने अपने वाद पत्र में यह उल्लेख किया है कि वादीगण का आवेदन दिनांक 21.07.2016 को नायब तहसीलदार के यहां नामांतरण हेतु प्रस्तुत किये जाने पर खारिज कर दिया गया। उक्त तिथि से ही वाद कारण प्रारंभ हुआ। जबकि प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में यह उल्लेख किया है कि वादी द्वारा नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार न्यायालय के द्वारा आवेदन खारिज किया गया। तत्पश्चात वादीगण के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मुलताई के समक्ष अपील की गयी जिसमें आदेश दिनांक 31.05.1999 को तहसीलदार का आदेश निरस्त कर वादीगण के पक्ष में आदेश किया गया एवं तत्पश्चात प्रतिवादीगण के द्वारा आयुक्त होशंगाबाद एवं राजस्व मंडल ग्वालियर में उपर्युक्त आदेश की अपील किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रहा। उपर्युक्त परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 31.05.1999 अंतिम है क्योंकि वरिष्ठ राजस्व न्यायालयों में उपर्युक्त आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में दावा अवधि बाह्य है।

32 वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 31.05.1999 के अवलोकन से यह प्रकट है कि उपर्युक्त आदेश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 29.11.1996 निरस्त किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादीगण के द्वारा अपील किये जाने पर अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 16.10.2006 (प्रदर्श पी-7) एवं राजस्व मंडल के आदेश दिनांक 28.08.2010 (प्रदर्श पी-8) के अवलोकन से यह प्रकट है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा गया। तत्पश्चात वादीगण के द्वारा पुनः से तहसीलदार आमला के समक्ष नामांतरण हेतु विक्रय पत्र दिनांक 28.08.1995 एवं राजस्व न्यायालय के आदेशों के आधार पर नामांतरण हेतू आवेदन प्रस्तृत किया गया। प्रथम आवेदन पर निराकरण नहीं हो पाया। तत्पश्चात पुनः से वादीगण के द्वारा तहसील न्यायालय आमला में दिनांक 02.09.2015 को (प्रदर्श पी-41) नामांतरण हेत् आवेदन प्रस्तुत किया गया जो कि इस आधार कि ''विवादित भूमियों की वर्तमान में स्थिति एवं विवादित भूमियों का वर्ष 1996 में प्रतिवादीगण द्वारा विक्रय कर दिये जाने के कारण स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न हो गया है" खारिज कर दिया गया। उपर्युक्त आवेदन पर चले प्रकरण में वादीगण की ओर से विवादित भूमियों की वर्तमान स्थिति प्रस्तृत की गयी। साथ ही इसी प्रकरण में वादी को प्रतिवादी क. 01 के पक्ष में हुए विक्रय पत्र की जानकारी प्राप्त हुई। स्वयं प्रतिवादी साक्षी मारूति (प्र.सा.-1) ने अपने कथनों में यह बताया है कि उसके द्वारा वर्ष 2010 में राजस्व मंडल ग्वालियर से हार जाने के बाद वादी राजेश एवं कमलेश की विक्रय पत्रों को निरस्त कराने के लिए किसी न्यायालय में कोई दावा नहीं किया गया। साथ ही वर्ष 1996 से तहसीलदार के न्यायालय से लेकर वर्ष 2010 तक राजस्व मंडल के न्यायालय में उभयपक्ष के बीच मुकदमेबाजी के दौरान प्रतिवादी क. 01 को किये गये विकय पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। साक्षी ने यह भी बताया कि तहसीलदार के न्यायालय से उसके पक्ष में फैसला होने के बाद उसने दिनांक 03 दिसम्बर 1996 को प्रतिवादी क. 01 गणेश को रजिस्ट्री कर दी। इस प्रकार स्वयं प्रतिवादी मारूति के कथनों से यह प्रकट हो रहा है कि वादीगण को उपर्युक्त विक्रय पत्रों की जानकारी राजस्व न्यायालय में चले प्रकरणों के दौरान नहीं थी।

33 साथ ही प्रतिवादीगण का यह तर्क रहा है कि वादी क. 01 एवं 02 के वाद कारण के साथ वादी क. 03 का वाद कारण नहीं हो सकता क्योंकि विकय पत्र दिनांक 28.08.1995 के आधार पर विवादित भूमियां वादी क. 01 एवं 02 को विकय की गयी हैं परंतु प्रतिवादी क. 02 एवं 03 के द्वारा प्रतिवादी क. 01 के पक्ष में निष्पादित विकय पत्र दिनांक 03.12.1996 में विवादित भूमि ख.नं. 103, 6 एवं 17 के साथ—साथ विवादित भूमि ख.नं. 21 का भी विकय किया गया है। तब ऐसी स्थिति में जबिक वादी क. 03 का भी विवादित भूमि ख.नं. 21 पर संयुक्त स्वामित्व था एवं विकय पत्र दिनांक 03.12.1996 की जानकारी वादीगण को तहसील न्यायालय में दिनांक 02.09.2015 को आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर प्राप्त हुई जिसमें कि विकय पत्र दिनांक 28.08.1995 में विवादित भूमियों के अतिरिक्त ख.नं. 21 का भी विकय किया गया। परिणामस्वरूप वादी क. 02 एवं 03 के साथ—साथ वादी क. 03 के लिए भी वाद कारण का प्रारंभ वर्ष

2015 से ही माना जायेगा। साथ ही वादीगण के द्वारा वाद कारण दिनांक से तीन वर्ष के भीतर स्वत्व की घोषणा हेतु दावा प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः दावा समयावधि में होना प्रमाणित पाया जाता है।

प्रतिवादीगण का एक तर्क यह भी रहा है कि वाद कारण अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 03.05.1999 से माना जायेगा क्योंकि तत्पश्चात वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त आदेश को स्थिर रखा गया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। साथ ही इस संबंध में न्याय दृष्टांत Bherulal & others Vs. Mohd. Jamil & others 2006 (III) W.N. 16 प्रस्तुत किया है परंतु यह उल्लेखनीय है कि वाद कारण के लिए वाद पत्र में किये गये अभिवचन ही महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही राजस्व मंडल के आदेश वादी के पक्ष में होने के उपरांत तहसीलदार आमला के द्वारा वर्ष 2015 में पुनः से वादी के विरुद्ध आदेश किया गया। इस प्रकार उपर्युक्त न्याय दृष्टांतों से प्रतिवादीगण को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। फलतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि दावा समयाविध में है। तदानुसार वाद प्रश्न क. 09 "हां" के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 10 का निराकरण

उपर्युक्तानुसार की गई साक्ष्य विवेचना के वादी क. 01 एवं 02 विक्रय पत्र दिनांक 28.08.1995 के आधार पर विवादित भूमि ख.नं. 6 रकबा 0. 202 हे., ख.नं. 17 रकबा 0.304 हे. तथा ख.नं. 103 रकबा 0.890 हे. क्रय कर स्वत्व प्रमाणित करने में सफल रहे हैं तथा वादी क. 03 गंगाराम विवादित भूमि ख.नं. ६ रकबा ०.१९९ हे. के तथा ख.नं. २१ रकबा ०.१७८ हे.? के १/४ अंश पर स्वत्व प्रमाणित करने में सफल रहा है। साथ ही विक्रय पत्र दिनांक 03.12.1996 वादीगण के उनके हित के विरुद्ध होकर उनके अंश की सीमा तक शून्य होना प्रमाणित पाया गया है एवं वादीगण विकय पत्र दिनांक 03.12.1996 के आधार पर विवादित भूमियों पर प्रतिवादी क. 01 का नामांतरण विधि विरूद्ध होना भी प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। चूंकि वर्तमान में प्रतिवादी क. 01 के नाम पर विक्रय पत्र दिनांक 03.12.1996 के आधार पर ख.नं. 6 रकबा 0.292 हे.. ख.नं. 17 रकबा 0.118 हे., ख.नं. 21 रकबा 0.178 हे. तथा ख.नं. 103 रकबा 0.591 हे. राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। निश्चित ही नाम दर्ज होने के आधार पर प्रतिवादी क. 01 द्वारा विवादित भूमियों पर हस्तक्षेप से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः वादी क. 01 एवं 02 विकय पत्र दिनांक 28.08.1995 के आधार पर क्रय की गयी भूमियों के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त किये जाने के अधिकारी हैं। वादीगण ने दावा समयावधि में होना प्रमाणित किया है। फलतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा स्वीकार किया जाता है तथा निम्न आशय की डिकी पारित की जाती हैं:-

- 1. वादी क. 01 एवं 02 विकय पत्र दिनांक 28.08.1995 के आधार पर विवादित भूमि ख.नं. 6 रकबा 0.202 हे., ख.नं. 17 रकबा 0.304 हे. एवं ख.नं. 103 रकबा 0.890 हे. स्थित ग्राम सोनेगांव वाद संलग्न नक्शे में रेखांकित/दर्शित भाग के स्वत्वाधिकारी हैं।
- 2. वादी क. 03 गंगाराम विवादित भूमि ख.नं. 6 का शेष रकबा 0.199 हे. एवं ख.नं. 21 का रकबा 0.178 हे. स्थित ग्राम सोनेगांव के 1/4 अंश का स्वत्वाधिकारी है।
- 3. प्रतिवादीगण को वादी क. 01 एवं 02 के द्वारा विकय पत्र दिनांक 28.08.1995 के आधार पर कय की गयी विवादित भूमियां ख.नं 103 रकबा 0.890 हे., ख.नं. 6 रकबा 0.202 हे., ख.नं. 17 रकबा 0.304 हे. स्थित ग्राम सोनेगांव पर वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप से निषेधित किया जाता है।
- 4. विक्रय पत्र दिनांक 03.12.1996 वादीगण के अंश की सीमा तक शून्य एवं निष्प्रभावी है।
- 5. प्रकरण में प्रतिवादीगण स्वयं के वाद व्यय के साथ—साथ वादीगण के वाद का व्यय भी वहन करेगा।
- वाद संलग्न नक्शा डिक्री का अंग होगा।
- 7. अधिवक्ता शुल्क म.प्र. सिविल कोर्ट नियम एवं आदेश 179 सहपठित नियम 523 के निर्धारित होता है अथवा जो प्रमाणित हो या न्यून हो खर्चे में जोड़ा जावे।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल (श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल